

आयुक्त, आयकर, बिहार एवं उड़ीसा

बनाम

प्रबंधक, कोर्ट ऑफ़ वाड्स एस्टेट, बेतिया

24 फरवरी, 1967

[एम. हिदायतुल्ला, जे. एम. शेलत तथा जी. के. मित्र, न्यायमूर्तिगण]

*प्रक्रिया एवं व्यवहार—कर देयता—मुकदमे के परिणाम पर निर्भर कर देयता—स्वत्व वाद लंबित रहते हुए आकलन—उच्च न्यायालय द्वारा आकलन अपास्त—संपत्ति—अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।*

बेतिया राज्य का उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर वाद लंबित रहने के दौरान, जो उस समय प्रबंधक, कोर्ट ऑफ़ वाड्स के कब्जे में था, आयकर अधिकारी ने बिहार राज्य की आय के रूप में प्रबंधक पर आकलन किया और प्रबंधक ने यह दावा किया कि संपत्ति राजगामित्व द्वारा राज्य में निहित हो गई है और इसलिए आय पर कर देय नहीं है। आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त तथा अधिकरण ने यह माना कि चूँकि वाद लंबित था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति राज्य में निहित हो गई थी। संदर्भ पर उच्च न्यायालय ने यह माना कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए, इस न्यायालय द्वारा अपील में...

अभिनिर्धारित : वाद के निस्तारण के उपरांत कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा आवश्यक होने पर उच्च न्यायालय प्रकरण का अनुपूरक विवरण मंगा सकता है।  
(कंडिका 750 डी)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1965 की दीवानी अपील संख्या 1172

पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1960 की विविध न्यायिक वाद संख्या 566 में 17 दिसंबर, 1963 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील।

आर. एच. डेबर, आर. एन. सचथे, अपीलकर्ता के लिए।

एस. पी. वर्मा, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **मित्त**, **न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया—

यह अपील पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय एवं उत्तर के विरुद्ध है, जो आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 ए(2) के अंतर्गत प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष लाई गई है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 261 के अनुरूप है। न्यायाधिकरण ने आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दो विधि-प्रश्न संदर्भित किए:

“1. क्या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, बेटिया एस्टेट से प्राप्त आय के संबंध में कोर्ट ऑफ वाड्स के प्रबंधक पर आकलन किया जा सकता था?

2. क्या बेटिया एस्टेट की आय के संबंध में कोर्ट ऑफ वाड्स के प्रबंधक पर किया गया कर निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 41(1) के अंतर्गत अधिकतम कर-दर से करारोपण के लिए विधिसम्मत था?”

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं—महारानी जानकी कुँअर, जो बिहार राज्य में बेटिया एस्टेट की अंतिम धारक थीं, का निधन 27 नवम्बर, 1954 को हुआ। उनकी मृत्यु से पूर्व कई वर्षों तक यह एस्टेट कोर्ट ऑफ वाड्स के प्रबंधन में थी और उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह उसी प्रबंधन के अंतर्गत बनी रही, क्योंकि यह ज्ञात नहीं था कि उन्होंने कोई उत्तराधिकारी छोड़ा है या नहीं। बंगाल कोर्ट ऑफ वाड्स अधिनियम (1879 की IX) की धारा 13 के अंतर्गत

“जब किसी वार्ड की मृत्यु पर उसकी संपत्ति या उसके किसी भाग के उत्तराधिकार को लेकर विवाद हो, तो कोर्ट ऑफ वाड्स या तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति या उसका भाग उस व्यक्ति को सौंप दिया जाए जो उसका दावा करता हो, अथवा वह उस संपत्ति का प्रभार तब तक अपने पास रख सकता है, जब तक कि दावेदार का कब्जे का अधिकार 1876 की बंगाल अधिनियम XVII के अंतर्गत निर्धारित न हो जाए या सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा विवाद का निस्तारण न कर दिया जाए।”

यहाँ “न्यायालय” से तात्पर्य कोर्ट ऑफ वाड्स है। एक सुरेश नन्दन सिन्हा ने यह आरोप लगाते हुए एस्टेट पर दावा करते हुए वाद दायर किया कि वह दिवंगत महारानी का

निकटतम उत्तराधिकारी है। महारानी की मृत्यु के पश्चात, आयकर अधिकारी ने बेतिया एस्टेट का प्रतिनिधित्व करते हुए कोर्ट ऑफ़ वाइर्स के प्रबंधक पर आकलन किया, जो निर्धारण वर्ष 1956-57 से संबंधित था, जबकि लेखा वर्ष 1955-56 था। इस बीच बिहार सरकार ने यह दावा किया कि एस्टेट राजगामित्व के रूप में राज्य में निहित हो चुकी है और प्रबंधक, कोर्ट ऑफ़ वाइर्स ने आयकर अधिकारी के समक्ष आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान भी आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 41(1) के अंतर्गत आय पर अधिकतम दर से कर नहीं लगाया जाना चाहिए। चूँकि वाद लंबित था, आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त दोनों ने यह माना कि यह नहीं कहा जा सकता कि एस्टेट राजगामित्व द्वारा राज्य में निहित हो गई है, और उन्होंने यह भी माना कि आय अधिकतम दर से करयोग्य है। वही दलील अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष भी रखी गई और न्यायाधिकरण ने यह अवलोकन किया कि न तो सरकार द्वारा महारानी की मृत्यु पर या उसके पश्चात यह प्रभाव डालने वाली कोई अधिसूचना जारी की गई थी कि एस्टेट राजगामित्व द्वारा बिहार राज्य में निहित हो गई है, और न ही लंबित मुकदमे के कारण यह निश्चितता थी कि अंततः किसे उत्तराधिकारी माना जाएगा।

मामले में उच्च न्यायालय ने, जैसा कि वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 289 तथा 296 का संदर्भ लेते हुए और पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित अवलोकन किया—

“वर्तमान मामले की परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि आयकर प्राधिकारी, मात्र इस कारण से कि बेतिया एस्टेट के उत्तराधिकार के संबंध में एक स्वत्व वाद दायर किया गया है, और बिहार राज्य के इस दावे का निर्णय किए बिना कि उक्त संपत्ति राजगामित्व द्वारा उसमें निहित हुई है या नहीं, कोर्ट ऑफ़ वाइर्स के प्रबंधक पर विधिपूर्वक कर आरोपित नहीं कर सकते।”

इस दृष्टिकोण के आधार पर, प्रथम प्रश्न का उत्तर निर्धार्य के पक्ष में दिया गया और द्वितीय प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया, क्योंकि वह केवल अकादमिक था।

उत्तरदाता की ओर से—और अपीलकर्ता द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया—यह कहा गया कि सुरेश नन्दन सिंह द्वारा दायर वाद खारिज कर दिया गया था, किंतु उसके विरुद्ध अपील दायर की गई थी और इसलिए वह वाद लंबित था। तथ्यों की स्थिति वर्तमान में भी वही प्रतीत होती है; अतः यह नहीं कहा जा सकता कि बेतिया एस्टेट राजगामित्व द्वारा बिहार

राज्य में निहित हो चुकी है। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में आयकर का आकलन नहीं किया जा सकता। सुरेश नन्दन सिंह की अपील के निस्तारण के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस दृष्टिकोण में, पटना उच्च न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा जाना चाहिए। कार्यवाही मुकदमे के निस्तारण के पश्चात अंतिम रूप से तय की जानी चाहिए, और उच्च न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो अनुपूरक कथन के लिए निर्देश दे सकता है। यह प्रश्न कि एस्टेट बिहार राज्य में राजगामित्व द्वारा निहित हुई है या नहीं, खुला छोड़ दिया जाता है, और इस अपील की लागतें उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। यदि यह पाया जाता है कि एस्टेट राजगामित्व द्वारा निहित हो चुकी है, तो हमारे समक्ष अपीलकर्ता को इस अपील की लागत वहन करनी होगी; और यदि राजगामित्व नहीं पाया जाता है, तो आयुक्त को इस अपील की लागत वहन करनी होगी।

वाई.पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।